

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

गोपनीय से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 1983/पृष्ठ 21, 1904
No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1983 P/USA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जड़ग रखने के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नादहन और परिणहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अतिरिक्त

नई दिल्ली 11 जनवरी, 1983

सं० का० म. 23(ख)--महापत्तन न्याय 1963 (1963 का 38) के पृष्ठ 4 के
उपखंड (1) द्वारा प्रस्तुत शर्तों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा, शेष पत्तन न्याय
के प्रथम न्यायी मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन की जा रही है --

(1) वितीय मन्त्रालय, तीव्रतम और वित्त मन्त्रालय न्यायी

(2) संयुक्त मन्त्रालय (विदेश मन्त्रालय), अतिरिक्त न्यायी

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

और इसके लिए नौबहन और परिवहन मंत्रालय (पसत पक्ष) की सरकारी अधिसूचना सं० सा०
फा० नि० 437 (ए) दिनांक 31 मई, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि 8 के वाच निम्नलिखित प्रविष्टियां दर्ज की जाय :-

- "9. वित्तीय सलाहकार नौबहन और परिवहन मंत्रालय न्यासी
10. संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार) प्राथमिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय न्यासी

[फा० सं० पी० डब्ल्यू/पी०टी०बी०-13/8.]

पी० वी० वेंकटराघन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 1983

G. S. R. 23 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the following persons as the Trustees of the first Board of Trustees for the Nhava Sheva Port Trust:—

(1) The Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport. Trustee

(2) The Joint Secretary (Foreign Trade),
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Trustee

and for that purpose amends the Government Notification, Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G. S. R. 437 (E), dated the 31st May, 1982, as follows namely :

In the said notification, after entry 8, the following entries shall be added, namely :—

"9 The Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport. Trustee

10. The Joint Secretary (Foreign Trade),
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Trustee

[F. No. PW/PTB-13/82]

P. V. Venkatakrishnan, Joint Secy